न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 76/2019-20

सावित्री कुमारी पति धनंजय कुमार – अपीलकर्त्ता

ग्राम पटना थाना पटना जिला पटना।

बनाम्

अंचल अधिकारी, तोरपा। – विपक्षी

आदेश का क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई
13.11.20	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–366R27 / 18–19 में अंचल अधिकारी, तोरपा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.19 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–	

मौजा	थाना / थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(डी0 में)
सोनपुरगढ़	तोरपा 29	72	758	57.66

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, तोरपा के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा एवं अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद में अंगीकार किया गया। आवेदक कथन करते है कि आवेदित भूमि का नामांतरण हेतु आवेदन अंचल अधिकारी, तोरपा के कार्यालय में दिया जिसे दा0 खा0 वाद सं0–366R27 / 18–19 दिनांक 01.06.19 को खारिज कर दिया गया। आवेदक पुनः कथन करते है कि उन्होंने उक्त भूमि बसंत सिंह परमार से बिक्री केवाला पट्टा सं0– 302 / 293 दिनांक 21.02.19 से क्रय किया है। उपरोक्त वर्णित जमीन हाल नाप के RS खतियान में खाता नं0 72 की कुल जमीन देवमन सिंह वो रामु सिंह पेषरान सुरजमन सिंह कौम छत्री शाकिन देय के नाम से कायमी खाता दर्ज है। दोनों खतियानदार अपने जीवन काल में सभी तरह की सम्पति का बँटवारा कर अपने–अपने हिस्सा पर दखलकर हुए। खतियानदार देवमन सिंह के स्वर्गवास के बाद उनके चार पुत्र 1. मटुकधारी सिंह 2. विक्रेता के पिता श्याम सिंह 3. बालमुकुन्द सिंह 4. तारामईन सिंह को सभी तरह की सम्पति पर पूर्ण अधिकार वो स्वामित्व प्राप्त हुआ। चारों भाई अपने–अपने सुविधा के अनुसार सभी तरह की सम्पति का बँटवारा कर अपने–अपने हिस्से पर दखलकार हुए। श्याम सिंह के स्वर्गवास के बाद उनके पांच उत्तराधिकारी पुत्र 1. राजेन्द्र सिंह 2. नारायण

सिंह 3. सुरेन्द्र सिंह 4. भोला सिंह एवं 5. विक्रेता बसंत सिंह परमार को सभी को सभी तरह की सम्पति पर पूर्ण अधिकार वो स्वामित्व प्राप्त हुआ। पांचो भाई अपने–अपने सुविधा के अनुसार सभी तरह की सम्पति का बँटवारा कर अपने–अपने हिस्से पर दखलकार हुए। विक्रेता बसंत सिंह परमार कुल भूमि 3.72 एकड़ में से 57.66 डी0 भूमि को आपसी सहमती से सावित्री कुमारी पति धनंजय कुमार ग्राम पटना थाना पटना जिला पटना को बिक्री कर दिया।

अंचल अधिकारी, तोरपा के जांच प्रतिवेदन अनुसार भूमि के विक्रेता का मुख्तारनामा पत्र संदेहास्पद होने के कारण नामांतरण अस्वीकृत किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया की सभी दावेदारों के आपसी सुलाहनामा के अनुसार बसंत सिंह परमार के द्वारा भूमि की बिक्री करायी है, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अंत में अपील स्वीकृत करने का प्रार्थना करते है। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया एवं पाया कि विक्रेता बसंत सिंह परमार स्वंय खतियानी रैयत के वंशज है। उनके द्वारा सभी भइयों की सहमती से भूमि का विक्री किया गया है।

अतः अपील वाद स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, तोरपा द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें निर्देश दिया जाता है कि आवेदक का नाम दाखिल खारिज करते हुए पंजी–II में आवश्यक सुधार कर सरकारी रसीद आवेदक के पक्ष में निर्गत करें।

लेखापित एवं संषोधित

13/11/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

13/11/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।